कलेक्टर ने निर्देश पर अब जिले में होगा पुरानी विकसीत कालोनियों का सर्वे

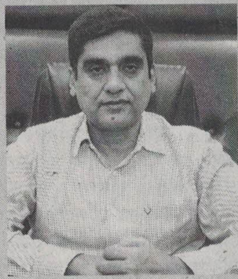

तत्कालीन समय में लागू इस नियम का पालन हुआ या नहीं, सात दिन में सत्यापन कर रिर्पोट देने के लिए कहा

सिंघम रिपोर्टर ❑ रतलाम

जिले में अवैध कालोनियों पर सख्ती से कार्रवाई के बाद अब कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने पुरानी विकसित कॉलोनियों की ओर भी नजर घुमा दी है। जिले में पूर्व में विकसित कॉलोनी में उस समय लागू नियमों का पालन हुआ है या नहीं इस बात के सत्यापन के निर्देश कलेक्टर ने प्रशासनिक अमले को दिए हैं।

जानकारी के अनुसार पूर्व में विकसित कॉलोनी में 15 प्रतिशत प्लाट (EWS) कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित करने का नियम था। लेकिन इस तरह की शिकायतें प्रशासन को मिल रही है कि कई जगह इन ईडब्ल्यूएस प्लाटों को अन्य लोगों को विक्रय कर दिया गया है।

इस तरह की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने रतलाम शहर, जावरा, सैलाना सहित अन्य स्थानों पर पूर्व विकसित कॉलोनियों में आरक्षित ईडब्ल्यूएस प्लाटों के सत्यापन के निर्देश प्रशासनिक अमले को दिए हैं। कलेक्टर ने 7 दिन में कॉलोनियों का सर्वे कर इस संबंध में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। सूत्रों के अनुसार यदि ईडब्ल्यूएस प्लाटों को लेकर गड़बंड़ी मिलती है तो प्रशासन द्वारा संबंधित कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

पहले और अब नियम

पूर्व में कॉलोनी को विकसित करने पर 15% प्लॉट कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित करने का नियम था। इसके बाद नियम में परिवर्तन कर ईडब्ल्यूएस के लिए मकान बनाकर देने का नियम किया गया। अब नियमों में परिवर्तन कर कॉलोनाइजर को आश्रय शुल्क जमा करने की सुविधा दी गई है।

इनका कहना है

इस तरह की शिकायतें मिली है जिसमें पूर्व में विकसित कॉलोनियों में उस समय के नियम के अनुसार ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित प्लाटों को गलत तरीके से अन्य को विक्रय कर दिया गया है । इसलिए पूर्व विकसित कॉलोनियों का सर्वे कर ईडब्ल्यूएस प्लाटों के सत्यापन के निर्देश दिए गए है।

- कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर रतलाम

सिंघम-3

सिंघम - 3/3/22

प्लाट पर गंदगी पाये जाने पर भगवान भाई पर 10 हजार का जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरुषोतम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व-नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते है, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबधितो पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 1 मार्च मंगलवार को 3 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार न्यू रोड क्षेत्र में प्लाट पर गंदगी पाये जाने पर प्लाट मालिक भगवान भाई पर 10000, शहरी क्षेत्र में पशु पालन कर गंदगी करने पर सतीश व्यास पर 1000, खुले में कचरा एवं गंदगी करने पर विजय डामोर पर 500, रवि, शातिलाल, अरबाज, लक्ष्मणसिंह सोनगरा, शिवशक्ति कैफे, राधेश्याम व योगेन्द्र पर 200-200 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। सिंघम-3

सिंघम 3/3/२२

सड़क पर फैलाई भवन निर्माण सामग्री, 3 पर केस

भास्कर

रतलाम | सड़क पर मलबा और भवन निर्माण सामग्री फैलाने वाले 3 व्यक्तियों पर गुरुवार को स्पॉट फाइन दल ने जुर्माना लगाया। इनमें रक्षाजी कस्तूरबा नगर, मदनलाल पांचाल निराला नगर व विनीत मार्बल साक्षी पेट्रोल पंप शामिल हैं। प्रत्येक से 1000 रुपए का स्पॉट फाइन वसूला गया।

दै. भास्कर ५/3/२२

16 सफाई कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आए, वेतन काटा

रतलाम | पर्यवेक्षकों के निरीक्षण में गुरुवार को 16 कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित मिले। इनमें सुबह की पाली के 13 और दोपहर की पाली के 3 शामिल हैं। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने सभी का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। साथ ही बर्खास्त करने का नोटिस दिया है। इनमें से जो लगातार तीन दिन से अनुपस्थित चल रहे थे, उनको तत्काल सेवा से हटा दिया जाएगा। इसी प्रकार रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के भी चार कर्मचारी राहुल-राजकुमार, आकाश-कुंदन, नरेंद्र-नवीन, रवि-मुकेश बुधवार रात ड्यूटी पर नहीं आए। इनका भी एक दिन का वेतन काटने के आदेश हुए हैं। भास्कर

दै. भास्कर ५/3/२२

नेशनल लोक अदालत: 12 मार्च, 14 मई और 12 नवम्बर को लगेगी

उपभोक्ताओं को अधिभार में 50% तक रियायत

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर, जल उपभोक्ता प्रभार, जलकर के अधिभार (सरचार्ज) में उपभोक्ताओं को 50 फीसदी तक छूट मिलेगी। यह छूट उन निकायों में लागू नहीं होगी, जहां लोक अदालत के समय आचार संहिता प्रभावशील होगी। प्रदेश में नेशनल लोक अदालत 12 मार्च, 14 मई और 12 नवम्बर को आयोजित की जाएगी।

सम्पत्ति कर: ऐसे प्रकरण, जिनमें कर व अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होगी, उसमें मात्र अधिभार में 100%, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख रुपए तक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत तक और सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर व अधिभार की राशि एक लाख रुपए से अधिक बकाया होगी, उनमें अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

जल उपभोक्ता प्रभार: जल कर में कर व अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया होगी, उनमें अधिभार में 100%, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होगी, उनमें अधिभार में 75% तक रियायत दी जाएगी। जल उपभोक्ता प्रभार में जलकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर व अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होगी, उनमें अधिभार में 50% की छूट मिलेगी।

पत्रिका 4/3/22

वोटर लिस्ट अपग्रेडेशन में गड़बड़ • भाजपा निर्वाचन आयोग के मुख्य सचिव के सामने लगाएगी आपत्ति

विधानसभा से छोटा दायरा फिर भी निगम में बढ़ेंगे 14764 वोटर

...क्योंकि निगमकर्मी बूथ पर बैठे रहे, बीएलओ घर-घर गए

भास्कर एक्सक्लूसिव

शिवेंद्र दुबे | रतलाम

नगरीय निकाय की 7 मार्च को फाइनल होने वाली मतदाता सूची पर राजनीतिक दलों ने अभी से सवालियां निशान लगा दिए हैं। निकाय का दायरा विधानसभा क्षेत्र से छोटा होने के बावजूद निकाय की सूची में 14764 मतदाता बढ़ जाएंगे। दरअसल विधानसभा की 5 जनवरी 2022 की ताजा सूची में 965 मतदाता घट गए थे। इससे विधानसभा क्षेत्र में 208579 वोटर हो गए हैं। इसके उलट निकाय में 223343 हो जाएंगे। इस बड़े अंतर का कारण चौंकाने वाला नहीं है। विधानसभा की लिस्ट भारत निर्वाचन के बीएलओ घर-घर जाकर करते हैं, इसलिए वास्तविक पुनरीक्षण होता है। वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए जाने वाले नगर निगम के प्राधिकृत अधिकारी वार्ड वार बूथों पर ही बैठे रहते हैं। अपग्रेडेशन में मतदाता रुचि लेते हैं न जनप्रतिनिधि। ऐसे में निकाय की सूची ठीक से नहीं बन पाती। इससे मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि निकाय की फाइनल लिस्ट 7 मार्च को जारी होगी लेकिन सामने आ रहे आंकड़े भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के गले नहीं उतर रहे हैं। भाजपा निर्वाचन आयोग के मुख्य सचिव को आपत्ति लगाने जा रही है। कांग्रेस नेता लिस्ट टटोल रहे हैं।

ऐसे समझें नगर निगम की वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को

मई-जून में हो सकते हैं निकाय चुनाव

इधर 26 माह से टल रहे नगरीय निकाय चुनाव के परीक्षाओं के बाद मई-जून में होने के कवायद ने जोर पकड़ लिया है। इसकी भनक लगने के बाद फिर राजनैतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। सरकार को पंचायत चुनाव कराना है। फिलहाल दोनों चुनाव कोर्ट के आदेश पर निर्भर है आरक्षण को लेकर केस चल रहे हैं।

- विधानसभा की 5 जनवरी 2022 की सूची में मतदाता- 208579
- निकाय की 4 मार्च 2021 को जारी आखिरी सूची में मतदाता - 219843
- विधानसभा अपग्रेड सूची के अनुसार निकाय में जुड़ने वाले मतदाता - 3500 लगभग
- इसके बाद निकाय की फाइनल सूची में मतदाता - 223343 लगभग
- विधानसभा के मुकाबले निकाय सूची में कितने बढ़ जाएंगे- 14764 लगभग

अब तक के अपग्रेडेशन में विस सूची की स्थिति

2018	197753
2022	208579
अंतर	+ 10826

अब तक के अपग्रेडेशन में निकाय सूची की स्थिति

2014	195818
2022	223343
अंतर	+ 27525

निर्वाचन आयोग के मुख्य सचिव को आपत्ति लगा रहे हैं। निकाय की सूची में वोटर विधानसभा से 14 हजार से ज्यादा आ रहे हैं। तितरी, मथुरी और रेलवे कॉलोनी का क्षेत्र नहीं निकाय के दायरे में नहीं आता।
दिनेश शर्मा, भाजपा निकाय चुनाव प्रभारी

वार्ड वार सूचियों का अध्ययन कर रहे हैं। विधानसभा की नई और निकाय की सूची से क्रॉस चेक करेंगे। अनियमितता मिली तो ठीक कराएंगे।
महेंद्र कटारिया, शहर अध्यक्ष-कांग्रेस

भास्कर

दै. भास्कर 4/3/22

शनिवार तक काम शुरू करें नहीं तो अर्नेस्ट मनी जब्त की जाएगी

कलेक्टर ने नगर निगम कार्यों के ठेकेदारों की बैठक लेकर दिए निर्देश

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शहर में नगर निगम द्वारा बड़ी संख्या में कार्य स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन कार्य होते दिखाई नहीं दे रहे हैं सभी इंजीनियर और ठेकेदार यह सुनिश्चित करें कि स्वीकृत कार्य शनिवार तक हर हाल में प्रारंभ हो जाएं, अन्यथा ठेकेदार की अर्नेस्ट मनी जब्त कर उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। यह निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने नगर निगम के ठेकेदारों को बैठक में दिए। सिविक सेंटर सभाकक्ष में आयोजित बैठक में निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, कार्यपालन यंत्री मोहम्मद हनीफ शेख, सुरेशचंद्र व्यास, सहायक यंत्री श्याम सोनी आदि उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर द्वारा नगर निगम के सड़क, नाली, पेवर निर्माण आदि कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जो वर्क आर्डर जारी हो चुके हैं, लेकिन अनुबंध नहीं हुआ है उन ठेकेदारों को अनुबंध संपादित करके दो दिवस में कार्य प्रारंभ करना होगा। शनिवार को कलेक्टर द्वारा स्वयं निरीक्षण किया जाएगा। उस दिन साइट पर उपयंत्री के साथ-साथ ठेकेदार भी मौजूद रहे।

शहर में होने वाले निर्माण कार्यों की स्थिति : निर्माणाधीन सड़क : मार्निंग स्टार स्कूल से टैंकर रोड तक सीसी सड़क, इंद्रलोक नगर मेन रोड पर डामरीकरण, डोंगरे नगर पानी की टंकी के पास सीसी निर्माण, जवाहर नगर मुक्तिधाम से गुरु रामदास होते हुए देवरा देवनारायण तक डामरीकरण किया जाना है।

कार्य आदेश जारी : विनोबा नगर टंकी से ग्लोबस गेट तक डामरीकरण, जय बाबा स्कूल वाली सड़क पर डामरीकरण, अंबे माता चौक से राधे कृष्ण मंदिर होते हुए साईं बिल्डिंग तक डामरीकरण सड़क निर्माण एवं 80 फीट रोड से रत्नपुरी तक डामरीकरण कार्य के कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं।

कार्य पूर्ण : सुयोग परिसर से पीएमएवाय बिल्डिंग मुखर्जी नगर तक सीसी सड़क निर्माण, पद्मश्री बाग्र सैलाना रोड से कस्तूरबा नगर गली नंबर छह तक सीसी रोड निर्माण तथा राकेट लांड्री से आरोग्य हनुमान मंदिर तक सीसी सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

स्वीकृति लेना बाकी : डालू मोदी बाजार से गणेश देवरी तक, रानीजी के मंदिर से हरदेव लाला की पीढ़ी तक, रानी जी के मंदिर से नाहरपुरा चौराहा तक, नीम चौक, माणक चौक क्षेत्र में, डालू मोदी बाजार से घास बाजार तक, बजाज खाना रोड पर, चांदनी चौक से घास बाजार तक, शहीद चौक से रानी जी के मंदिर तथा गणेश देवरी तक डामरीकरण तथा पेवर ब्लाक लगाने की स्वीकृति बाकी है। नई

नईदुनिया 4/3/22

नसबंदी के लिए पकड़े कुत्तों को भगाने वाली महिलाओं पर केस

कुत्ते पकड़ने वाली टीम व रहवासियों से हुआ था जीवदया वालों का विवाद

भास्कर संवाददाता | रतलाम

अजंता टॉकीज क्षेत्र में नसबंदी के लिए नगर निगम की टीम द्वारा पकड़े कुत्तों को छुड़वाकर भगाने वाली तीन जीवदया प्रेमियों के खिलाफ स्टेशन रोड थाने में शासकीय कार्य में बाधा केस दर्ज किया है। शिल्पा जोशी निवासी अजंता टॉकीज रोड पंचवटी अपार्टमेंट, आपरा पति पुष्पेंद्र खंडेलवाल निवासी गुलमोहर कॉलोनी और आशा गुप्ता पति ईश्वरलाल गुप्ता निवासी देवरा देवनारायण नगर शामिल हैं। इनमें से आशा गुप्ता नसबंदी करने की देखरेख करने वाली मॉनीटरिंग समिति में भी है। नगर निगम के प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी सत्यप्रकाश आचार्य की प्रतिवेदन पर फिलहाल स्टेशन रोड थाने ने तीनों महिलाओं के खिलाफ एफआईआर कर जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों के साथ कुत्तों से परेशान क्षेत्र के रहवासियों से भी पूछताछ होगी।

मामला बुधवार सुबह का अजंता टॉकीज क्षेत्र का है, जहां के 10 से 12 लोगों को एक माह में कुत्ते काट चुके हैं। परेशान रहवासियों ने निगम को शिकायत की थी, जिस पर बुधवार को निगम द्वारा अधिकृत संतुलन जीव कल्याण समिति की टीम कुत्ते पकड़ने पहुंची थी। उन्होंने चार-पांच कुत्ते पकड़े ही कि स्थानीय रहवासी शिल्पा जोशी विरोध में आ खड़ी हुई। इतना ही नहीं शिल्पा ने जीवदया वालों को भी बुला लिया। यह देख परेशान रहवासी टीम के साथ आ खड़े हुए। दोनों पक्षों में लगभग ढाई घंटे विवाद चला। स्टेशन रोड थाना प्रभारी किशोर पाटनवाला, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह पहुंचे, लेकिन जीवदया वालों ने उनके सामने ही कुत्तों को छुड़वाकर भगा दिया। इससे नाराज रहवासियों ने कलेक्टर और एसपी को लिखित में शिकायत कर कुत्ते पकड़ने का विरोध करने वालों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज करने की मांग की थी। गुरुवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और आयुक्त सोमनाथ झारिया एक्शन में आए और स्वास्थ्य अधिकारी के मार्फत एफआईआर करवाई। भास्कर

आयुक्त के घर जाकर मिलने की जिद करके एक घंटे बैठी रहीं महिलाएं

दोपहर को थाने में पुलिस प्रकरण दर्ज हो रहा था, वहीं एक कांग्रेस नेत्री के साथ कुछ महिलाएं आयुक्त झारिया से मिलने उनके अलकापुरी स्थित घर पहुंच गई थी। आयुक्त इसके पहले ही सिटी इंजीनियर सुरेशचंद्र व्यास की कार से ऑफिस पहुंच गए थे। उनका सरकारी वाहन घर पर ही खड़ा था। जब महिलाओं को बताया कि आयुक्त ऑफिस चले गए हैं तो बाहर खड़े वाहन का हवाला देकर महिलाएं बोली मिलकर ही जाएगी। लगभग एक घंटे बैठने के बाद महिलाएं वहां से गई।

कम हुईं डॉग बाइट की घटनाएं

आयुक्त झारिया के अनुसार जुलवानिया में व्यवस्थित केंद्र बनाकर दिसंबर से कुत्तों की नसबंदी की जा रही है। अब तक 1800 कुत्तों का बधियाकरण हो चुका है। इससे डाग बाइट की घटनाओं में 70 से 75 प्रतिशत की गिरावट आई है। पहले सीएम हेल्प लाइन में हर माह 100 शिकायतें कुत्तों से संबंधित होती थी, यह अब 20 से 25 तक रह गई हैं। कुत्तों को पकड़कर नसबंदी का क्रम रुकेगा नहीं।

दै. भास्कर 4/3/22

अजंता टाकिज क्षेत्र में नगर निगम की टीम गई थी श्वान पकड़ने, तब किया था इन्होंने विरोध

श्वान पकड़ने से रोकने वाली 3 महिलाओं पर प्रकरण

फॉलोअप

पत्रिका

प्रकाशित खबर।

समाजसेवी आशा गुप्ता भी आरोपी महिलाओं में शामिल

रतलाम. कुत्ता पकड़ने वाली नगर निगम की टीम का विरोध करने पर पुलिस ने निगम के प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी के आवेदन पर तीन महिलाओं के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज किया है। इन महिलाओं में कुत्तों के लिए काम करने वाली आशा गुप्ता भी शामिल हैं।

निगम के प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी सत्यप्रकाश आचार्य पिता अमरेश्वर आचार्य 61 निवासी एमआईजी इन्दा नगर ने पुलिस को लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया कि नगर निगम में श्वानों के बधियाकरण के लिए अधिकृत संस्था संतुलन जीव कल्याण समिति जयपुर के व्हाहन के साथ समिति के कर्मचारी अजंता पैलेस क्षेत्र में नागरिकों की शिकायत पर श्वानों पकड़ने गया था। इस दौरान शिल्पा जोशी निवासी पंचवटी अपार्टमेन्ट, आपरा खंडेलवाल पति पुष्पेन्द्र निवासी गुलमोहर कालोनी तथा आशा गुप्ता पति ईश्वरलाल गुप्ता निवासी देवरादेवनारायण नगर ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए विवाद कर अभद्र व्यवहार किया। यही नहीं इन्होंने टीम द्वारा पकडे हुए श्वानों को वाहन में से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने तीनों ही महिलाओं के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज किया है।

एडीएम ने दिए आदेश

अजंता टॉकिज रोड पर बुधवार की सुबह घटना के बाद रहवासी शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। यहां पर अपर कलेक्टर एमएल आर्य ने रहवासियों की बात सुनने के बाद विवाद कर श्वानों को छुड़वाने वालों पर कार्रवाई के संबंध में रहवासियों को आश्वस्त किया था और निगम आयुक्त से भी इस संबंध में कार्रवाई की बात कहते हुए छुड़वाए गए श्वानों को फिर से पकड़ाकर उनका बधियाकरण कराए जाकर फिर से नियमानुसार छोड़ने की बात कही थी।

श्वान के कारण पहले भी होते रहे विवाद

आवारा श्वानों की धरपकड़ के दौरान पहले भी शहर के कुछ क्षेत्रों में विवाद के साथ हंगामे की स्थिति बनी थी लेकिन यह पहला मौका है जब मामला थाने तक जा पहुंचा है। दरअसल इस बार क्षेत्र के रहवासियों के साथ बाहर से आई एनजीओ की महिलाओं का विवाद होने से मामला और बढ़ गया था। इतना ही नहीं यह पूरा मामला पुलिस के आंखों के सामने हुआ जिसके चलते कोई घटना का झुठला भी नहीं सका और पुलिस को घटना के संबंध मे एफआईआर दर्ज करना पड़ी।

पत्रिका 4/3/22

श्वान पकड़ने वाले दल के कार्य में बाधा, तीन महिलाओं पर केस

रतलाम। स्टेशन रोड पुलिस ने श्वान पकड़ने वाले दल से विवाद कर शासकीय कार्य में बाधा डालने पर नगर निगम की तरफ से तीन महिलाओं के खिलाफ स्टेशन रोड थाने पर एफआइआर दर्ज कराई गई है।

पुलिस ने नगर निगम की शिकायत पर आरोपित शिल्पा जोशी निवासी अजंता टाकीज क्षेत्र, अपरा खंडेलवाल निवासी गुलमोहर कालोनी व आशा गुप्ता निवासी देवरादेव नारायण नगर के खिलाफ भादंवि की धारा 353, 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। नगर निगम के प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी सत्यप्रकाश आचार्य ने गुरुवार को पुलिस थाने पर लिखित शिकायत में बताया कि बुधवार सुबह नगर निगम की तरफ से श्वानों के बधियाकरण के लिए अधिकृत संस्था संतुलन जीव कल्याण समिति जयपुर के वाहन के साथ कर्मचारी अजंता टाकीज क्षेत्र में श्वान पकड़ने करने गए थे। तब आरोपितों ने कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई थी। पकड़े गए श्वानों को भी वाहन से बाहर निकाल दिया गया था।

नईदुनिया 4/3/22

आवारा कुत्तों को भगाने वाली 3 महिलाओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज

प्रसारण न्यूज • रतलाम

अजंता टॉकीज रोड पर स्ट्रीट डॉग जो पकड़ने पहुंची नगर निगम की टीम से विवाद करना शहर के पशु प्रेमियों को महंगा पड़ गया है। स्टेशन रोड थाने पर शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में 3 महिलाओं पर प्रकरण दर्ज किया गया है। दरअसल बुधवार दोपहर नगर निगम की टीम आवारा कुत्तों के बधियाकरण् के लिए अजंता टॉकीज क्षेत्र में पहुंची थी। जहां शिल्पा जोशी नाम की महिला ने नगर निगम की टीम के साथ विवाद शुरू कर दिया। शिल्पा जोशी ने एनिमल वेलफेयर से जुड़ी दो अन्य महिलाओं अपरा खंडेलवाल और आशा गुप्ता को भी मौके पर बुला लिया। जिसके बाद इन महिलाओं ने नगर निगम की टीम द्वारा पकड़े गए कुत्तों को भगा दिया। डॉग बाइटिंग की घटनाओं से परेशान स्थानीय रहवासियों ने जब इसका विरोध किया तो इन महिलाओं ने उन लोगों से भी विवाद किया। जिसके बाद इस मामले में स्टेशन रोड थाने पर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में तीनों महिलाओं पर प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रसारण

यह था मामला

दरअसल रतलाम में आवारा कुत्तों के बढ़ियाकरण के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। रतलाम के अजंता टॉकीज रोड पर बुधवार को आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम की गाड़ी पहुंची तो वहां मौजूद पशु प्रेमियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बाद में विवाद इतना बढ़ा कि मामला पुलिस थाने और अपर कलेक्टर के पास पहुंच गया। पशु प्रेम के नाम पर बदतमीजी करने वाले लोगों से नाराज रहवासियों ने अपर कलेक्टर से मामले कि शिकायत की थी। जिस पर एडीएम ने निगम आयुक्त को बधियाकरण की कार्रवाई में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए थे।

प्रसारण 4/3/22

कुत्ते पकड़ने की बात को लेकर विवाद

रतलाम। अजंता टॉकीज रोड पर आज् कुत्ते पकड़ने की बात को लेकर हंगामा हो गया। नगर निगम की गाड़ी बधियाकरण के लिए कुत्ते पकड़ने पहुंची थी। जिस रोककर पशु प्रेमियो ने बखेड़ा खड़ा कर दिया ।वहीं डॉग बाइटिंग से परेशान रहवासियों और पशु प्रेमियों के बीच जमकर विवाद किया । इस दौरान पशुप्रेमियों ने पकड़ाए गए कुत्तों को भी गाड़ी से जबर्दस्ती निकालकर भगा दिया। स्थानीय लोगों ने इस बात का विरोध किया तो पशु प्रेमियों ने स्थानीय महिलाओं से जमकर बदसलूकी कि और जमकर धमकाया। यह सब हंगामा स्टेशन रोड़ थाना प्रभारी के सामने चलता रहा लेकिन वे भी बेबस खड़े होकर लोगो को समझाते नज़र आए।

दरअसल रतलाम में आवारा कुत्तों के बढ़ियाकरण के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। रतलाम के अजंता टॉकीज रोड पर जैसे ही आज आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम की गाड़ी पहुंची तो वहां मौजूद पशु प्रेमियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बाद में विवाद इतना बढ़ा कि मामला पुलिस थाने और अपर कलेक्टर के पास पहुंच गया। पशु प्रेम के नाम पर बदतमीजी करने वाले लोगों से नाराज रहवासियों ने अपर कलेक्टर से मामले कि शिकायत कि है। जिस पर एडीएम ने निगम आयुक्त को बधियाकरण की कार्रवाई में रुकावट डालने वालो के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए है। सिंधम-3

सिंधम-3/3/22

नगर निगम ने पकड़ी संपत्तिकर टेक्स चोरी

रतलाम। संपत्तिकर विभाग अमले ने 5000 स्क्वेयर फीट से अधिक के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, भवनों की नपती की जा रही है। दर्शाए गए क्षेत्रफल से अधिक का एरिया पाये जाने पर संबंधित पर अधिक क्षेत्रफल का बिल 5 गुना शास्ति के साथ दिया जा रहा है। इसके तहत शहर में अब्दुल अजीज-हुसैन बक्ष अल अजीज मार्केट को 346753, अब्दुल अजीज, अब्दुल रशीद-अब्दुल करीम अल रहमत मार्केट को 783586, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद विकार, मोहम्मद अशफाक-अब्दुल रशीद ए के प्लाजा को 227598, सायरा बानो पति मोहम्मद उमर, एहमद हुसैन, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद इकबाल निखार मार्केट को 666072, पारसमल-पूनमचन्द, शारदा-पारसमल कॉलेज रोड को 397265, सावित्री देवी पति जगदीशचन्द्र माहेश्वरी 142350, पन्नालाल-झमकलाल, आशीश-पन्नालाल कटारिया बजाजखाना को 93541 व ललीताबाई पति छोटेलाल गांधी, मनसुखलाल-मगनलाल, अर्पित-मनसुखलाल गांधी चांदनी चौक को 427237 पाया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश पर 7 दिन की समयावधि में बिल की राशि जमा नहीं करवाने पर संपत्ति कुर्क की जाएगी।

दसलोकदुनीया 4/3/22

नगर निगम ने पकड़ी संपत्तिकर टेक्स चोरी

रतलाम। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार संपत्तिकर विभाग के अमले द्वारा नगर में 5000 स्क्वेयर फीट से अधिक के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, भवनों की नपती की जा रही है जिसके तहत विवरणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल से अधिक का एरिया पाये जाने पर संबंधित पर अधिक क्षेत्रफल का बिल 5 गुना शास्ति के साथ दिया जा रहा है। संपत्तिकर विभाग द्वारा 5000 स्क्वेयर फीट से अधिक के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, भवनों की नपती के तहत भवन का क्षेत्रफल अधिक पाये जाने पर अब्दुल अजीज-हुसैन बक्ष अल अजीज मार्केट को 346753, अब्दुल अजीज, अब्दुल रशीद-अब्दुल करीम अल रहमत मार्केट को 783586, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद विकार, मोहम्मद अशफाक-अब्दुल रशीद ए के प्लाजा को 227598, श्रीमती सायरा बानो पति मोहम्मद उमर, एहमद हुसैन, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद इकबाल निखार मार्केट को 666072, पारसमल-पूनमचन्द, शारदा-पारसमल कॉलेज रोड को 397265, श्रीमती सावित्री देवी पति जगदीशचन्द्र माहेश्वरी महर्षि दयानन्द मार्ग 142350, पन्नालाल-झमकलाल, आशीष-पन्नालाल कटारिया बजाजखाना को 93541 व श्रीमती ललीताबाई पति छोटेलाल गांधी, मनसुखलाल-मगनलाल, अर्पित-मनसुखलाल गांधी चांदनी चौक को 427237 का धारा 138 के तहत बिल निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार दिया गया है। 7 दिवस की समयावधि में देय बिल की राशि जमा नहीं कराने पर शक्ति पत्र जारी कर संबंधित की संपत्ति कुर्क की जावेगी।

सिंहासन-3

सिंहासन-3/3/22

नगर निगम ने पकड़ी संपत्ति कर की चोरी

रतलाम ● संपत्ति कर विभाग के अमले द्वारा नगर में 5000 स्क्वेयर फीट से अधिक के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, भवनों की नपती की जा रही है, जिसके तहत विवरणी में दर्शाए गए क्षेत्रफल से अधिक का एरिया पाए जाने पर संबंधित पर अधिक क्षेत्रफल का बिल 5 गुना शास्ति के साथ दिया जा रहा है।

स्वदेश 4/3/22

बैठक मे कलेक्टर द्वारा सड़क निर्माण, नाली, पेवर निर्माण आदि कार्यो की समीक्षा की गई

शनिवार तक निगम के रुके हुए सभी कार्य प्रारंभ होंगे, कलेक्टर करेंगे निरीक्षण

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

शहर में नगर निगम द्वारा बड़ी संख्या में कार्य स्वीकृत किए गए हैं।परंतु कार्य होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। सभी इंजीनियर और ठेकेदार यह सुनिश्चित करें कि जितने भी स्वीकृत कार्य हैं वे सभी कार्य आगामी शनिवार तक हर हाल में प्रारंभ हो जाए। अन्यथा ठेकेदार की अर्नेस्ट मनी जप्त कर ली जाएगी उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। उपरोक्त निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने नगर निगम के ठेकेदारों को बैठक में दिए। बुधवार शाम सिविक सेंटर सभाकक्ष में आयोजित बैठक में निगमायुक्त सोमनाथ झारिया,कार्यपालन यंत्री मोहम्मद हनीफ शेख ,सुरेश चंद्र व्यास, सहायक यंत्री श्याम सोनी आदि उपस्थित थे। बैठक मे कलेक्टर द्वारा नगर निगम के सड़क निर्माण, नाली, पेवर निर्माण आदि कार्यों की समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने कहा कि जो वर्क आर्डर जारी हो चुके हैं परंतु अनुबंध नहीं हुआ है उन ठेकेदारों को अनुबंध संपादित करके दो दिवस में कार्य प्रारंभ करना होगा। आगामी शनिवार को कलेक्टर द्वारा स्वयं निरीक्षण किया जाएगा । उस दिन साइट पर उपयंत्री के साथ-साथ ठेकेदार भी मौजूद रहे।

बैठक में बताया गया कि शहर में जो सड़कें निर्माणाधीन हैं ,उनमें मॉर्निंग स्टार स्कूल से टैंकर रोड तक सीसी सड़क कार्य ,इंद्रलोक नगर मेन रोड पर डामरीकरण, डोंगरे नगर पानी की टंकी के पास सीसी निर्माण तथा मुक्तिधाम से गुरु राम दास होते हुए देवरा देवनारायण तक डामरीकरण सम्मिलित है इसके अलावा विनोबा नगर टंकी से ग्लोबस गेट तक डामरीकरण ,जय बाबा स्कूल वाली सड़क पर डामरीकरण ,अंबे माता चौक से राधे कृष्ण मंदिर होते हुए साईं बिल्डिंग तक डामरीकरण ,सड़क निर्माण एवं 80 फीट रोड से रत्नपुरी तक डामरीकरण कार्य के कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं।

बताया गया कि सुयोग परिसर से पी एम ए वाई बिल्डिंग मुखर्जी नगर तक सीसी सड़क निर्माण ,पद्मश्री बार सैलाना रोड से कस्तूरबा नगर गली नंबर 6 तक सीसी रोड निर्माण तथा रॉकेट लॉन्ड्री से आरोग्य हनुमान मंदिर तक सीसी सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है ।

इन कार्यों की स्वीकृति ली जाना है:

बताया गया कि डामर एवं पेवर ब्लॉक के प्रथक प्रथक प्राक्कलन तैयार करके जिन कार्यों की स्वीकृति ली जाना है उनमें डालू मोदी बाजार से गणेश देवरी तक डामरीकरण एवं पेवर ब्लॉक, रानी जी के मंदिर से हरदेव लाला की पीढ़ी तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक, रानी जी के मंदिर से नाहरपुरा चौराहा तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना, नीम चौक में सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना ,माणक चौक क्षेत्र में डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक कार्य ,डालू मोदी बाजार से घास बाजार तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य, बजाज खाना रोड पर सड़क डामरीकरण एवं पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य, चांदनी चौक से घास बाजार तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य, शहीद चौक से रानी जी के मंदिर तथा गणेश देवरी तक डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य शामिल हैं। २।७

राज एक्सप्रेस 5/3/22

मप्र हाईकोर्ट का आदेश

सरकारी जमीन पर कोई भी नई प्रतिमा नहीं लगेगी

2013 के बाद लगीं सभी प्रतिमाएं हटेंगी

भोपाल | प्रदेश में अब चौराहों और सड़कों पर ट्रैफिक को नजरअंदाज कर मनमाने ढंग से महापुरुषों-नेताओं की प्रतिमाएं नहीं लगाई जा सकेंगी। मप्र हाईकोर्ट ने गुरुवार को भोपाल के लिंक रोड नंबर-एक स्थित नानके पेट्रोल पंप तिराहे पर लगाई गई पूर्व मुख्यमंत्री स्व. अर्जुन सिंह की प्रतिमा के साथ ही 18 जनवरी 2013 के बाद पूरे प्रदेश में ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई प्रतिमाओं को हटाने के आदेश दिए हैं, जिनसे ट्रैफिक प्रभावित होता है।

जस्टिस शील नागू और जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की खंडपीठ ने भोपाल नगर निगम को इस मामले में दो बार अलग-अलग जवाब देने पर फटकार लगाते हुए 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि भविष्य में सड़क या सार्वजनिक उपयोग की सरकारी भूमि पर कोई नई मूर्ति नहीं लगाई जाए। भोपाल के मामले में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई थी। बड़ी बात ये है कि अर्जुन सिंह की जिस प्रतिमा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगी थी, वो अक्टूबर 2021 में ही हटाई जा चुकी है। ये प्रतिमा अभी लिंक रोड-1 पर ही व्यापमं चौराहे पर ढंकी रखी हुई है।

कैबिनेट का फैसला : सीपीए बंद, उसके काम का बंटवारा

सड़क और इमारतों का काम पीडब्ल्यूडी करेगा, वन विभाग के पास होंगे पार्क

पॉलिटिकल रिपोर्टर | भोपाल

भोपाल के सुव्यवस्थित विकास के लिए 1960 में गठित राजधानी परियोजना प्रशासन (सीपीए) को गुरुवार को कैबिनेट ने बंद कर दिया। सीपीए का काम अब पीडब्ल्यूडी और वन विभाग संभालेंगे। पीडब्ल्यूडी को सड़क व भवनों तो वन विभाग को पार्कों की देखरेख का काम सौंपा गया है। गैस राहत के भवनों का रखरखाव भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास विभाग करेगा। आगे की कार्रवाई के बाद 31 मार्च 2022 को सीपीए का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने वित्त विधेयक 2022 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक बजट का अनुमोदन कर दिया।

बता दें कि अभी सीपीए के 150 करोड़ रुपए के 100 से अधिक निर्माण कार्य चल रहे हैं। भोपाल में करीब 130 एकड़ में फैले एकांत, प्रियदर्शनी, चिनार, मयूर और तरण पुष्कर समेत 7 बड़े पार्कों की देखरेख अब वन विभाग करेगा। जबकि मंत्रालय, सतपुड़ा, विंध्याचल और विधानसभा भवनों के रखरखाव का काम पीडब्ल्यूडी देखेगा। सीपीए की करीब 600 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं, जिन्हें उनसे संबंधित विभागों को सौंप दिया जाएगा। 1960 से अब तक भारत भवन, शौर्य स्मारक, ट्राइबल म्यूजियम, मानव संग्रहालय, टीटी नगर स्टेडियम, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि भवन सीपीए ने बनवाए।

अन्य फैसले : सामुदायिक वन प्रबंधन समितियां बनेंगी

- वनों की देखरेख के लिए वन प्रबंधन समितियों में समुदाय जोड़ेंगे। इनका नाम भी सामुदायिक वन प्रबंधन समिति होगा। इन्हें जिला स्तर पर बेचे जाने वाली लकड़ी से प्राप्त होने वाली आय में से 20% राशि दी जाएगी।
- सौर ऊर्जा पार्क योजना में अल्ट्रा मेगा रिन्यूबल एनर्जी पार्क्स मोड में स्वीकृत ओंकारेश्वर फ्लोटिंग और सौर पार्क 600 मेगावाट और छतरपुर सोलर एनर्जी पार्क 950 मेगावाट को विकसित किए जाने को मंजूरी दे दी गई है। इन सौर परियोजनाओं से मिलने वाली बिजली की खरीदी मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा राज्य के उपयोग के लिए किया जाएगा। शेष बिजली की खरीदी अन्य सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा राज्य में या राज्य के बाहर उपयोग किया जाएगा। ओंकारेश्वर बांध पर प्रस्तावित 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना है।

स्वीकृत कार्य शनिवार तक प्रारंभ हो जाएं

कलेक्टर ने समीक्षा बैठक में ठेकेदारों को दिए निर्देश

रतलाम ● स्वदेश समाचार

शहर में नगर निगम द्वारा बड़ी संख्या में कार्य स्वीकृत किए गए हैं, परंतु कार्य होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। सभी इंजीनियर और ठेकेदार यह सुनिश्चित करें कि जितने भी स्वीकृत कार्य हैं, वे सभी कार्य आगामी शनिवार तक हर हाल में प्रारंभ हो जाएं, अन्यथा ठेकेदार की अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जाएगी व उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा।

उपरोक्त निर्देश कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम ने नगर निगम के ठेकेदारों को बैठक में दिए। कलेक्टर द्वारा नगर निगम के सड़क निर्माण, नाली, पेवर निर्माण आदि कार्यों की समीक्षा की गई। सुयोग परिसर से पीएमएवाई बिल्डिंग मुखर्जी नगर तक सीसी सड़क निर्माण, पद्मश्री बार सैलाना रोड से कस्तूरबा नगर गली नंबर 6 तक सीसी रोड निर्माण तथा रॉकेट लॉन्ड्री से आरोग्य हनुमान मंदिर तक सीसी सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है। बताया गया कि डामर एवं पेवर ब्लॉक के पृथक-पृथक प्राक्कलन तैयार करके जिन कार्यों की स्वीकृति ली जाना है, उनमें डालू मोदी बाजार से गणेश देवरी तक डामरीकरण एवं पेवर ब्लॉक रानीजी के मंदिर से हरदेव लाला की पीढ़ी तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक रानीजी के मंदिर से नाहरपुरा चौराहा तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना नीम चौक में सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना माणक चौक क्षेत्र में डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक कार्य डालू मोदी बाजार से घास बाजार तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य बजाज खाना रोड पर सड़क डामरीकरण एवं पेवर ब्लॉक स्थापन कार्य चांदनी चौक से घास बाजार तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य शहीद चौक से रानी जी के मंदिर तथा गणेश देवरी तक डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य शामिल हैं।

बैठक में निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, उपायुक्त विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, मोहम्मद हनीफ शेख, सहायक यंत्री श्याम सोनी, प्रभारी सहायक यंत्री एम.के. जैन, अनवर कुरेशी, उपयंत्री सुहास पंडित, बी.एल. चौधरी, राजेश पाटीदार, मनीष तिवारी, ब्रजेश कुशवाह, दीपक निजामपुरकर, निज सहायक सुभाष गोयल, सहायक वर्ग 3 कैलाश गेहलोत सहित निर्माण कार्यों के ठेकेदार उपस्थित थे।

स्वयं करेंगे निरीक्षण

कलेक्टर ने कहा कि जो वर्कआर्डर जारी हो चुके हैं, परंतु अनुबंध नहीं हुआ है उन ठेकेदारों को अनुबंध संपादित करके दो दिवस में कार्य प्रारंभ करना होगा। आगामी शनिवार को कलेक्टर द्वारा स्वयं निरीक्षण किया जाएगा। उस दिन साइट पर उपयंत्री के साथ-साथ ठेकेदार भी मौजूद रहें। बैठक में बताया गया कि शहर में जो सड़कें निर्माणाधीन हैं, उनमें मॉर्निंग स्टार स्कूल से टैंकर रोड तक सीसी सड़क कार्य इंद्रलोक नगर मेन रोड पर डामरीकरण डोंगरे नगर पानी की टंकी के पास सीसी निर्माण तथा मुक्तिधाम से गुरु रामदास होते हुए देवरा देवनारायण तक डामरीकरण सम्मिलित है। इसके अलावा विनोबा नगर टंकी से ग्लोबस गेट तक डामरीकरण जटा बाबा स्कूल वाली सड़क पर डामरीकरण अंबे माता चौक से राधे कृष्ण मंदिर होते हुए साई बिल्डिंग तक डामरीकरण सड़क निर्माण एवं 80 फीट रोड से रत्नपुरी तक डामरीकरण कार्य के कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं।

स्वदेश

स्वदेश 4/3/22

निर्माण कार्य शनिवार तक प्रारंभ हो जायें- कलेक्टर श्री पुरूशोत्तम

समीक्षा बैठक में ठेकेदारो को दिये निर्देश

रतला । रतलाम शहर में नगर निगम द्वारा बड़ी संख्या में कार्य स्वीकृत किए गए हैं परंतु कार्य होते दिखाई नहीं दे रहे हैं सभी इंजीनियर और ठेकेदार यह सुनिश्चित करें कि जितने भी स्वीकृत कार्य हैं वे सभी कार्य आगामी शनिवार तक हर हाल में प्रारंभ हो जाए अन्यथा ठेकेदार की अर्नेस्ट मनी जप्त कर ली जाएगी उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा उपरोक्त निर्देश कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने नगर निगम के ठेकेदारों को बैठक में दिए, बुधवार शाम सिविक सैंटर सभाकक्ष में आयोजित बैठक में निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया कार्यपालन यंत्री श्री मोहम्मद हनीफशेख श्री सुरेश चंद्र व्यास सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी आदि उपस्थित थे। बैठक मैं कलेक्टर द्वारा नगर निगम के सड़क निर्माण, नाली, पेवर निर्माण आदि कार्यों की समीक्षा की गई कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री पुरूशोत्तम ने कहा कि जो वर्क आर्डर जारी हो चुके हैं परंतु अनुबंध नहीं हुआ है उन ठेकेदारों को अनुबंध संपादित करके दो दिवस में कार्य प्रारंभ करना होगा आगामी शनिवार को कलेक्टर द्वारा स्वयं निरीक्षण किया जाएगा उस दिन साइट पर उपयंत्री के साथ-साथ ठेकेदार भी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि शहर में जो सड़कें निर्माणाधीन हैं उनमें मॉर्निंग स्टार स्कूल से टैंकर रोड तक सीसी सड़क कार्य इंद्रलोक नगर मेन रोड पर डामरीकरण डोंगरे नगर पानी की टंकी के पास सीसी निर्माण तथा मुक्तिधाम से गुरु राम दास होते हुए देवरा देवनारायण तक डामरीकरण सम्मिलित है इसके अलावा विनोबा नगर टंकी से ग्लोबस गेट तक डामरीकरण जय बाबा स्कूल वाली सड़क पर डामरीकरण अंबे माता चौक से राधे कृष्ण मंदिर होते हुए साईं बिल्डिंग तक डामरीकरण सड़क निर्माण एवं 80 फीट रोड से रत्नपुरी तक डामरीकरण कार्य के कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं

बताया गया कि सुयोग परिसर से पी एम ए वाई बिल्डिंग मुखर्जी नगर तक सीसी सड़क निर्माण पद्मश्री बार सैलाना रोड से कस्तूरबा नगर गली नंबर 6 तक सीसी रोड निर्माण तथा रॉकेट लॉन्ड्री से आरोग्य हनुमान मंदिर तक सीसी सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है बताया गया कि डामर एवं पेवर ब्लॉक के प्रथक प्रथक प्राक्कलन तैयार करके जिन कार्यों की स्वीकृति ली जाना है सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक रानी जी के मंदिर से नाहरपुरा चौराहा तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना नीम चौक में सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना माणक चौक क्षेत्र में डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक कार्य डालू मोदी बाजार से घास बाजार तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य बजाज खाना रोड पर सड़क डामरीकरण एवं पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य चांदनी चौक से घास बाजार तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य > स्वतंत्र

स्वतंत्र ऐलान 5/3/22

कलेक्टर ने नगर निगम के धीमे काम पर जताई नाराजगी

शहर में जब इतने काम स्वीकृत हैं तो फिर दिख क्यों नहीं रहे ?

रतलाम » दबंग रिपोर्टर

शहर में नगर निगम ने इतने सारे काम स्वीकृत किए हैं, तो वो काम होते दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं ? इंजीनियर और ठेकेदार सुनिश्चित करें कि जितने भी स्वीकृत कार्य हैं वो सब आने वाले शनिवार तक हर हाल में प्रारंभ हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ठेकेदार की अर्नेस्ट मनी जप्त करें और उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा।

यह सख्त निर्देश कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम ने नगर निगम के ठेकेदारों को बैठक में दिए। सिविक सेंटर सभाकक्ष में हुई बैठक में निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, उपायुक्त विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री मोहम्मद हनीफ शेख, सुरेश चंद्र व्यास, सहायक यंत्री श्याम सोनी, ठेकेदार आदि उपस्थित थे। कलेक्टर द्वारा नगर निगम के सड़क निर्माण, नाली, पेवर निर्माण आदि कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि जो वर्क आर्डर जारी हो चुके हैं परंतु अनुबंध नहीं हुआ है, उन ठेकेदारों को अनुबंध करके दो दिवस में कार्य प्रारंभ करवाएं। शनिवार को कलेक्टर द्वारा स्वयं निरीक्षण किया जाएगा। उस दिन साइट पर उपयंत्री और ठेकेदार भी मौजूद रहेंगे। दबंग

ये काम हुए पूरे

बताया गया कि सुयोग परिसर से पी एम ए वाई बिल्डिंग मुखर्जी नगर तक सीसी सड़क निर्माण, पद्मश्री बार सैलाना रोड से कस्तूरबा नगर गली नंबर 6 तक सीसी रोड निर्माण तथा रॉकेट लॉन्ड्री से आरोग्य हनुमान मंदिर तक सीसी सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

यहां लगेंगे ब्लॉक और डामरीकरण

डालू मोदी बाजार से गणेश देवरी तक डामरीकरण एवं पेवर ब्लॉक रानी जी के मंदिर से हरदेव लाला की पेढ़ी तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक रानी जी के मंदिर से नाहरपुरा चौराहा तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना नीम चौक में सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना माणक चौक क्षेत्र में डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक कार्य डालू मोदी बाजार से घास बाजार तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य बजाज खाना रोड पर सड़क डामरीकरण एवं पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य चाँदनी चौक से घास बाजार तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य शहीद चौक से रानी जी के मंदिर तथा गणेश देवरी तक डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य शामिल है।

चल रहे हैं ये काम

बैठक में बताया गया कि शहर में जो सड़कें निमार्णाधीन हैं उनमें...

- मॉर्निंग स्टार स्कूल से टैंकर रोड तक सीसी सड़क,
- इंद्रलोक नगर मेन रोड पर डामरीकरण
- डोंगरे नगर पानी की टंकी के पास सीसी निर्माण
- मुक्तिधाम से गुरु राम दास होते हुए देवरा देवनारायण तक डामरीकरण है।
- विनोबा नगर टंकी से ग्लोबस गेट तक डामरीकरण
- जय बाबा स्कूल वाली सड़क पर डामरीकरण
- अंबे माता चौक से राधे कृष्ण मंदिर होते हुए साईं बिल्डिंग तक डामरीकरण
- 80 फीट रोड से रत्नपुरी तक डामरीकरण कार्य के कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं।

दबंग दुनिया 5/3/22

निर्माण कार्य शनिवार तक प्रारंभ हो जायें : कलेक्टर

समीक्षा बैठक में ठेकेदारो को दिये निर्देश

सिंघम रिपोर्टर □ रतलाम

शहर में नगर निगम द्वारा बड़ी संख्या में कार्य स्वीकृत किए गए हैं परंतु कार्य होते दिखाई नहीं दे रहे हैं सभी इंजीनियर और ठेकेदार यह सुनिश्चित करें कि जितने भी स्वीकृत कार्य हैं वे सभी कार्य आगामी शनिवार तक हर हाल में प्रारंभ हो जाए अन्यथा ठेकेदार की अर्नेस्ट मनी जप्त कर ली जाएगी उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा उपरोक्त निर्देश कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम ने नगर निगम के ठेकेदारों को बैठक में दिए, बुधवार शाम सिविक सेंटर सभाकक्ष में आयोजित बैठक में निगमायुक्त सोमनाथ झारिया कार्यपालन यंत्री मोहम्मद हनीफ शेख सुरेश चंद व्यास सहायक यंत्री श्याम सोनी आदि उपस्थित थे। बैठक मैं कलेक्टर द्वारा नगर निगम के सड़क निर्माण, नाली, पेवर निर्माण आदि कार्यों की समीक्षा की गई

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक पुरुषोत्तम ने कहा कि जो वर्क आर्डर जारी हो चुके हैं परंतु अनुबंध नहीं हुआ है उन ठेकेदारों को अनुबंध संपादित करके दो दिवस में कार्य प्रारंभ करना होगा आगामी शनिवार को कलेक्टर द्वारा स्वयं निरीक्षण किया जाएगा उस दिन साइट पर उपयंत्री के साथ-साथ ठेकेदार भी मौजूद रहे।

बैठक में बताया गया कि शहर में जो सड़कें निर्माणाधीन हैं उनमें मॉर्निंग स्टार स्कूल से टैंकर रोड तक सीसी सड़क कार्य इंद्रलोक नगर मेन रोड पर डामरीकरण डोंगरे नगर पानी की टंकी के पास सीसी निर्माण तथा मुक्तिधाम से गुरु राम दास होते हुए देवरा देवनारायण तक डामरीकरण सम्मिलित है। इसके अलावा विनोबा नगर टंकी से ग्लोबस गेट तक डामरीकरण जय बाबा स्कूल वाली सड़क पर डामरीकरण अंबे माता चौक से राधे कृष्ण मंदिर होते हुए साईं बिल्डिंग तक डामरीकरण सड़क निर्माण एवं 80 फीट रोड से रत्नपुरी तक डामरीकरण कार्य के कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं बताया गया कि सुयोग परिसर से पी एम ए वाई बिल्डिंग मुखर्जी नगर तक सीसी सड़क निर्माण पद्मश्री बार सैलाना रोड से कस्तूरबा नगर गली नंबर 6 तक सीसी रोड निर्माण तथा रॉकेट लॉन्ड्री से आरोग्य हनुमान मंदिर तक सीसी सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

बताया गया कि डामर एवं पेवर ब्लॉक के प्रथक प्रथक प्राक्कलन तैयार करके जिन कार्यों की स्वीकृति ली जाना है। उनमें डालू मोदी बाजार से गणेश देवरी तक डामरीकरण एवं पेवर ब्लॉक रानी जी के मंदिर से हरदेव लाला की पीढ़ी तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक रानी जी के मंदिर से नाहरपुरा चौराहा तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना नीम चौक में सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना माणक चौक क्षेत्र में डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक कार्य डालू मोदी बाजार से घास बाजार तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य बजाज खाना रोड पर सड़क डामरीकरण एवं पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य चांदनी चौक से घास बाजार तक सड़क डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य शहीद चौक से रानी जी के मंदिर तथा गणेश देवरी तक डामरीकरण तथा पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य शामिल हैं। आयोजित बैठक में उपायुक्त विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, मोहम्मद हनीफ शेख, सहायक यंत्री श्याम सोनी, प्रभारी सहायक यंत्री एम.के. जैन, अनवर कुरेशी, उपयंत्री सुहास पंडित, बी.एल. चौधरी, राजेश पाटीदार, मनीष तिवारी, ब्रजेश कुशवाह, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, निज सहायक सुभाष गोयल, सहायक वर्ग 3 कैलाश गेहलोत सहित निर्माण कार्यों के ठेकेदार उपस्थित थे। सिंघम-3

सिंघम - 3/3/22

100 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम (तेज एक्सप्रेस)।। रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक (प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झण्डे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, ग्लास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, टेऊ स्वीट बाक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी के बैनर) के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देषानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। तेज

तेज एक्सप्रेस 4/3/22